

Seventeenth Loksabha

span>

Title: The Prevention of Mob-Lynching Bill, 2022

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent mob lynching and provide adequate punishment for persons committing mob lynching with a view to instil a sense of fear among the persons who involve themselves in such kind of actions and for rehabilitation of victims of lynching and their families and for matters connected therewith or incidents thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या का निवारण करने और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या से जुड़े व्यक्तियों को, जो इस प्रकार के कार्यों में स्वयं को शामिल करते हैं, पर्याप्त रूप से दंडित कर उन व्यक्तियों के बीच भय की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से तथा भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए गए व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 134, Shri E.T. Mohammed Basheer.